

1	विभाग	हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग
2	योजना का नाम	जनश्री पावरलूम बीमा योजना
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी-	<p>यह योजना विकास आयुक्त, हथकरघा, भारत सरकार द्वारा पावरलूम बुनकरों को बीमा सुरक्षा कराने के उद्देश्य से चलायी जा रही है। योजनांतर्गत 51 से 59 वर्ष की आयु के बुनकर लाभान्वित करने हेतु इस योजना का वार्षिक प्रीमियम रू० 470.00 है, जिसमें भारत सरकार द्वारा रू० 290.00 एवं बुनकर अंश रू० 80.00 तथा एल०आई०सी० द्वारा रू० 100.00 अंशदान दिया जाता है। तथा 18 से 50 वर्ष की आयु के लाभार्थियों हेतु इस योजना के अंतर्गत पावरलूम बुनकरों को वार्षिक प्रीमियम रू० 3420.00 है, जिसमें भारत सरकार द्वारा रू० 162.00 एवं बुनकर अंश रू० 80.00 तथा एल०आई०सी० द्वारा रू० 100.00 अंशदान दिया जाता है। निम्नवत् संशोधित बढा हुआ हित लाभ देय होगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 18 से 50 वर्ष की आयु के बुनकर हेतु <ol style="list-style-type: none"> 1. साधारण मृत्यु की दशा में रू० 2,00,000.00 2. दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर रू० 2,00,000.00 3. पूर्ण स्थायी अपंगता पर रू० 2,00,000.00 4. आंशिक अपंगता पर रू० 1,00,000.00 2. 51 से 59 वर्ष की आयु के बुनकर हेतु <ol style="list-style-type: none"> 1. साधारण मृत्यु की दशा में रू० 60,000.00 2. दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर रू० 1,50,000.00 3. पूर्ण स्थायी अपंगता पर रू० 1,50,000.00 4. आंशिक अपंगता पर रू० 75,000.00
4	पात्रता की अर्हता-	18 से 59 वर्ष तक के बुनकर
5	आवेदन की प्रक्रिया-	वांछित अभिलेखों सहित कार्यालय में आवेदन
6	लिंक वेबसाईट	http://www.etanabanaup.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के सहायक आयुक्त उद्योग से सम्पर्क किया जा सकता है ।